कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2021 / 699

जबलपुर दिनांक, 24/02/2021

// संशोधित विज्ञप्ति सूचना पत्र(केवल संविदा कर्मियों हेत्)//

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/अराज/2020/10306 जबलपुर दिनांक 29/12/2020 के द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय परिचारिका संवर्ग (स्टाफ नर्स) आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अधीन स्वीकृत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की म.प्र. के शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पूर्ति की जाने हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया था। इस हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल 05 जून, 2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25 जुलाई 2018 के तहत् भर्ती किये जाने वाले पदों का 20 प्रतिशत पद ऐसे संविदा कर्मचारियों से, जो 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो एवं पूर्व की संविदा सेवा का नियमित नियुक्ति में लाभ न लिया हो के आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 सांय 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यार्थियों ने पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदन करने वाले संविदा कर्मियों ने यदि 05 वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया है तो उपर्युक्त दर्शायी गई समयाविध तक प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.03.2021 (शासकीय कार्य दिवस)

सीधी भर्ती:- स्टाफ नर्स - कुल पद - 58 (संविदा कर्मियों हेतु)

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
1	अनारक्षित	01	08	00	01	00	00	10		
2	अनुसूचित जाति	01	08	00	01	00	00	10		
3	अनुसूचित जनजाति	01	. 13	00	01	00	01	16	निरंक	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	12	00	01	00	01	16		
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		04	00	01	00	00	06		
योग:-		06	45	00	05	00	02	58		

3. संविदा कर्मियों हेतु न्यूनतम योग्यता:-

स्टाफ नर्स

- 1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धित से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2. शासकीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशीक्षित ।
- 3. मध्प्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन।
- 4. अभ्यर्थी न्यूनतम पद पर आवेदन वर्ष की यह अवधि रिक्त 05 क है। रहना आवश्यवर्ष तक संविदा पर नियुक्त 05 करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र यथा-स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तै:-

1. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।



पद का नाम	वेतनमान
स्टाफ नर्स	शासन निर्देशानुसार वेतन देया होगा ।

- 2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
- 4. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगी।

5. आरक्षण:-

- 1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- 3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्याथियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व्) द्वारा जारी किया गया हो।
- 4. सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- 5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की
	विकलांगता मान्य है ।

- 6. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 27 जून 2017 के अनुसूची-एक की टिप्प्णी क्रमांक-04 को ध्यान में रखते हुए स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर ही पुरूष स्टाफ नर्स पदस्थ किये जाऐंगे।
- 7. उक्त पदों में भूतपर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।
- 8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

6. आवेदन शुल्क:-

अनारिक्षत वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग(केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारिक्षत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिये 800/- (आठ सौ रूपये) राशि का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैक आफ इंण्डिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

7. आयु सीमा:-

- 1. अनारक्षित वर्ग हेतु
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन /महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु

नोट:- आयु की गणना 01 दिसंबर 2020 के आधार पर की जावेगी।

- -न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
- न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)



- 8. सामान्य शर्तै:-
- 1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- 2. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
- 5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- 6. अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
- 7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।
- 9. ऐसे आवेदक जिनमो दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- 10. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
- 11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।
- 12. पुरूष तथा महिला स्टाफ नर्स की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।
- 13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारति आवश्यकत न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- 14. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।
- 9. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:-

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पदित करना होगा । सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी । यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी ।

10. निर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अविध के लिए विवर्जित कर दियो जाएगा:-

- 1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
- 2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
- 3. भर्ती के लिये काई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
- 4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से काई हो:-
- अ. पुरूष उम्मीदवा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसमने किसी ऐसे व्यकित् से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मासमाले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्यापत कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूटर दे सकता है।
- ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
- स. महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।
- द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीतिव रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- 5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।

11. चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वैटैज निम्नानुसार रहेगा) :-

Higher Secondary	Bsc/GNM	Bsc = 25	Msc = 05	Total=100
(12th)	Percentage (%X0.5)	GNM =20		
Percentage (%X0.2)	(Max 50 Marks)			
(Max 20 Marks)				

12. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscb.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशें का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. पी.के. कसार) अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

नोटः सभी जानकारी आवदेक द्वारा पूर्ण की जावे।

	C:- SBIN000144 ical College, Jab	ऑफ इंण्डिया मेडिकल 45) (Account No palpur) के नाम से गम	. 10080 कर रसीद	130054) (N संलग्न करें		पासपोर्ट सा नवीनतम प				
2.										
3.	आवेदक का पूरा न									
4.	पुरूष / महिला									
5.	पिता / पति का ना	म (उपनाम सहित)								
6.	जन्मतिथि									
7.	आयु दिनांक 01.12	क 01.12.2020 के अनुसार वर्षमाहमाहदिनादिना								
	(सत्यापन हेतु प्रमा	ण पत्रों की सत्यापित	प्रति संलग्	ान करें।)						
В.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)									
9.	स्थाई निवास स्था	स्थाई निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित))								

10.	मोबाईल नंबर			ई–मेल आइ	.डी					
	वर्गः अनारक्षित / ३	भनुसूचित जाति/अनु	मूचित जन	जाति/अन्य पि	छड़ा वर्ग/विक	लांग /				
	वर्गः अनारक्षित / व भूतपूर्व सैनिक	भनुसूचित जाति/अनु	मूचित जन	जाति/अन्य पि	छड़ा वर्ग/विक	लांग /				
11.	वर्गः अनारक्षित / ३ भूतपूर्व सैनिक पत्र की छायाप्रति	भनुसूचित जाति/अनु	मूचित जन (आरक्षित	जाति / अन्य पि श्रेणी हेतु सक्षग	छड़ा वर्ग/विक न अधिकारी द्वार	लांग / रा जारी प्रमाण				
10. 11.	वर्गः अनारक्षित / उ भूतपूर्व सैनिक पत्र की छायाप्रति विवाहित होने की	भनुसूचित जाति/अनुर संलग्न करें) स्थिति में विवाह की	मूचित जन (आरक्षित तिथि	जाति/अन्य पि श्रेणी हेतु सक्षग	छड़ा वर्ग/विक न अधिकारी द्वार	लांग / रा जारी प्रमाण				
11. 12. 13.	वर्गः अनारक्षित / उ भूतपूर्व सैनिक पत्र की छायाप्रति विवाहित होने की	भनुसूचित जाति/अनुः संलग्न करें)	मूचित जन (आरक्षित तिथि अंकसूची व	जाति/अन्य पि श्रेणी हेतु सक्षग	छड़ा वर्ग/विक न अधिकारी द्वार	लांग / रा जारी प्रमाण				
11.	वर्गः अनारक्षित / व भूतपूर्व सैनिक पत्र की छायाप्रति विवाहित होने की शैक्षणिक योग्यताए	भनुसूचित जाति/अनुष संलग्न करें) स्थिति में विवाह की ं:- (प्रमाण-पत्र एवं	मूचित जन (आरक्षित तिथि अंकसूची व	जाति / अन्य पि श्रेणी हेतु सक्षग की सत्यापित स	छड़ा वर्ग / विक त अधिकारी द्वार लग्न करें	लांग / रा जारी प्रमाण				
11. 12. 13.	वर्गः अनारक्षित / व भूतपूर्व सैनिक पत्र की छायाप्रति विवाहित होने की शैक्षणिक योग्यताए परीक्षा का	भनुसूचित जाति/अनु संलग्न करें) स्थिति में विवाह की ं:- (प्रमाण-पत्र एवं संस्थ/बोर्ड/विवि	मूचित जन (आरक्षित तिथि अंकसूची व	जाति / अन्य पि श्रेणी हेतु सक्षग की सत्यापित स	छड़ा वर्ग / विक त अधिकारी द्वार लग्न करें	लांग / रा जारी प्रमाण				

14. जीवित बच्चों का विवरण:--

स.क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथ (सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर)
11			

- 15. अन्य विशेष योगयता:-
- 16. सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 17. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें।
- 18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

स्थान	आवेदक	का	पूरा	नाम	एवं	हस्ताक्षर
दिनांक						

/ / घोषणा-पत्र / /

- मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार को कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।



आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर